



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड-249404

सं: 85/04(i)/डी0आर0/वि0वि0प्र0/सेवा-03/2022-23

दिनांक 20 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

**प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के सापेक्ष
अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक के रिक्त 11 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किये जाने हेतु प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह 'ग') परीक्षा-2023 का विज्ञापन संख्या: A-1/DR/S-3/2023-24 दिनांक 28 जून, 2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 26 मई, 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के सापेक्ष विज्ञापित संख्या-129/06/प्र0सहा0(वि0वि0)/G-2/2024-25 दिनांक 16 अगस्त, 2024 द्वारा अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) निर्गत की गयी है। अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 30 अगस्त, 2024 को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है।

02- उक्त अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड किये जाने हेतु ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 21 अगस्त, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक खोला जा रहा है। अभ्यर्थी दिनांक 21 अगस्त, 2024 से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्रति डाउनलोड करते हुए अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

03- अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम तिथि को ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित अर्ह अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 (यथा संशोधन) में विहित प्राविधानानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

04- अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान एवं सन्निरीक्षा का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 30 अगस्त, 2024 को निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है-

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 30 अगस्त, 2024, (प्रातः 09:30 बजे से)

400118	400238	400523	400931	400980	400986	401141	401723
401856	401966	402138	402340	402352	403362	403386	403685
403855	404082	404656	405124	405182	406094	406359	406761
406810	406925	407014	407136	407215	407429	407513	407951
408889	TOTAL = 33						

नोट— अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 09:30 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 09:30 बजे तक परीक्षा भवन में अभिलेख सत्यापन कार्यक्रमानुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में पृथक से डाक अथवा अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

05— अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों हेतु कार्यालय ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से 02 सैट में भरते हुए नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे—

(क) चैकलिस्ट (Check List)

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) (अनुक्रमांक सहित)।

(ग) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)।

(घ) प्रमाणीकरण-पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)।

(ङ) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।

(च) नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा पत्र।

06— अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गये दावे के सापेक्ष उपरोक्त बिन्दु-05 में उल्लिखित प्रपत्रों के साथ ही निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें—

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका।
- 4) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण -पत्र। (यदि लागू हो)।
- 5) आरक्षण एवं मूल/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 6) विज्ञापन के बिन्दु सं0-06 में उल्लिखित प्राविधानानुसार धारित वांछनीय अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र/अभिलेख।
- 7) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र।

9) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (**Affidavit**) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

10) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-1/DR/S-3/2023-24 दिनांक 28 जून, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पदों के सापेक्ष (लेवल-4) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (**Salary Slip**) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

11) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक-तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र (**Certificate**) प्रस्तुत करना होगा।

12) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

07- यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

08- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।